राजस्थान सरकार

नगरीय विकास विभाग

क्रमांकः प. 5(3) नविवि/3/99 जयपुर, दिनांक 28.9.2002

आदेश

राज्य सरकार द्वारा कृषि भूमि के भू–नियमन बाबत पूर्व में जारी आदेश क्रमांक प. 5(3) नविवि/99/पार्ट दिनांक 11.1.2002 में भू–नियमन के संबंध में प्रदत्त आदेशों के साथ–साथ जब भू–नियमन के कार्य को और अधिक गति देने के लिये उपरोक्त आदेश में दी गई शक्तियों के साथ–साथ निम्नानुसार कार्यवाही करने बाबत राज्य सरकार की ओर से निर्देश प्रदान किये जाते हैं–

जोन स्तरीय समिति के अधिकार :

1. **50 प्रतिशत तक निर्मित कॉलोनियों के संबंध में पूर्ण अधिकार**– यदि ऐसी कॉलोनियों के संबंध में निर्धारित मापदण्डों में छूट प्रदान करने की आवश्यकता हो तो निदेशक (नगर आयोजना) के माध्यम से जयपुर विकास आयुक्त को इस संबंध में अधिकार होगा।
2. **25 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक के निर्माण के कॉलोनियों बाबत अधिकार**– जोन स्तरीय समितियों द्वारा तकनीकी अनुमोदन तथा ले–आउट प्लान स्वीकृत किया जायेगा मगर उसकी स्वीकृति निदेशक (नगर आयोजना) के माध्यम से जयपुर विकास आयुक्त से ली जाकर ही उसे अन्तिम रूप दिया जावेगा।
3. **निजी खातेदार तथा लघु विकासकर्ता की 25 एकड़ तक की कालोनियों बाबत अधिकार**– ऐसी कालोनियों में जोन स्तरीय समिति द्वारा ले–आउट प्लान स्वीकृत किया जायेगा मगर उसकी स्वीकृति निदेशक (नगर आयोजना) के माध्यम से जयपुर विकास आयुक्त से ली जावेगी।
4. **व्यक्तिगत भूखण्डों का ले-आउट प्लान के संबंध में अधिकार**– 500 वर्गगज तक के व्यक्तिगत भूखण्डों का ले–आउट प्लान का अनुमोदन जोन स्तर पर उपायुक्त द्वारा किया जायेगा। 500 वर्गगज से अधिक मगर 1500 वर्गगज तक के भूखण्डों में उपायुक्त द्वारा जयपुर विकास आयुक्त के अनुमोदन के पश्चात् किया जायेगा। 1500 वर्गगज से अधिक के भूखण्डों के ले–आउट प्लान का अनुमोदन राज्य सरकार के अनुमोदन के पश्चात् किया जायेगा।
5. भू–उपयोग परिवर्तन के संबंध में राज्य सरकार का आदेश क्रमांक प. 5(3) नविवि/3/99 दिनांक 10.7.1999 में आंशिक संशोधन करते हुए कृषि भूमि के भू–उपयोग परिवर्तन बाबत निम्नानुसार निर्देश दिये जाते हैं:–

(क) कृषि भूमि पर भू–उपयोग परिवर्तन का अधिकार जयपुर विकास प्राधिकरण की बी.पी.सी. (ले–आउट प्लान) को दिया जाता है।

(ख) भू–नियमन में गति लाने हेतु जेडीए एक्ट की धारा 25(3) के तहत भू–उपयोग परिवर्तन बाबत आपत्तियां आमंत्रित किये जाने पर यदि कोई आपत्ति नहीं आती है तो उसका भू–उपयोग परिवर्तन की प्रत्याशा में भू–नियमन का कार्य प्रारम्भ कर दिया जावे।

उप–शासन सचिव